राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर

6 वेस्ट पटेल नगर, रातानाड़ा जोधपुर

दूरभाष नं. 2091–2510746 email: me.jodhpur@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– खअ / जोध / बजरी / निलामी / 2022 /   दिनांक :–

निलामी विज्ञप्ति 01 / 2022

जोधपुर जिले की तहसील लूणी के ग्राम खेजड़ली कलां में अवैध खनन / निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्त शुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 22.08.2022 (सायंकाल 5.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, जोधपुर, 6 वेस्ट पटेल नगर रातानाड़ा जोधपुर में रोकड़ शाखा कक्ष में आमंत्रित की जाती है। **प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2022 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खनि अभियंता जोधपुर के कक्ष में खोली जायेगी,** जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	स्थल जहां बजरी पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना / अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रू.)
1	खेजड़ली कलां में खसरा संख्या 148, 184 / 1 (2940 टन) 184, (4676 टन), 363 (2464 टन) कुल 10080 टन	10080	4,53,600	45,36,000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्थल का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय खनि अभियन्ता जोधपुर खनिज भवन, 6 वेस्ट पटेल नगर रातानाड़ा जोधपुर में रोकड़ शाखा कक्ष में दिनांक 22.08.2022 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना / अमानता राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक** जो **खनि अभियन्ता, जोधपुर** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो / कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित खेजडली कलां तहसील लूणी में की जा सकती है।
5. जप्तशुदा बजरी वर्णित स्थलो में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2022 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खनि अभियंता जोधपुर के कक्ष में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 20 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारींनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार / अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र / आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता जोधपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियन्ता
जोधपुर

क्रमांकः– सम/2022/ 998 दिनांक : 05/8/22

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान–उदयपुर।
2. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोट किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर जोधपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जोधपुर जोन जोधपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर।
6. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

खनि अभियन्ता
जोधपुर